DIRECTORATE OF MARKETING
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
GOVT. of INDIA, MINISTRY of MSME,
3, IRLA ROAD, VILE PARLE(WEST), MUMBAI - 400 056
Ph No. 022-26716680, Fax No. 022-26241738
E-mail: lgisrani@kvic.org.in

No. KVIC/MKT/20% PPP on MSE/2012-13/ 21.05.2012

CIRCULAR

Sub: Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012-reg.

As per the order issued vide Gazette Notification of Govt. of India No: 503, dt: 26.03.2012, "**The Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum 20% of their annual value of goods or services from Micro and Small Entreprises.**"

2. This order is titled as "**Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012**" and has come into force **with effect from 1st April 2012.**

3. The Public Procurement Policy shall apply **to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centres or Khadi and village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.**

4. Some salient points of the Public Procurement Policy are:

i. Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20% of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and small Enterprises in a period of three years.

ii. Annual goal of procurement also include sub-contracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.

iii. After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20% shall be mandatory.

Contd...

विपणन निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
(भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)
3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई – 400056
फोन: 022–26716680, फैक्स: 022–26241738
ई–मेल: lgisrani@kvic.org.in

संख्या: केवीआईसी/विपणन/एमएसई पर 20%पीपीपी/2012–13/ दिनांक: 21.05.2012

परिपत्र

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश 2012– के संबंध में।

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 503, दिनांक 26.03.2012 के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार, **"केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वार्षिक माल अथवा सेवा के कुल मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रापण सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करेंगे।"**

2. इस आदेश को **"सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश 2012"** नाम दिया गया है और यह 1 अप्रैल 2012 से प्रभावशील हो गया है।

3. सार्वजनिक प्रापण नीति उन **सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु मान्य होंगी जो जिला उद्योग केन्द्रों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा कॅयर बोर्ड अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अथवा हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सहबद्ध किसी अन्य निकाय के साथ पंजीकृत हैं।**

4. सार्वजनिक प्रापण नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

i. प्रत्येक केन्द्र सरकार का मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ होगा, और इसका उद्देश्य आगामी तीन वर्षों की अवधि के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वार्षिक तौर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत के समग्र प्रापण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ii. प्रापण के वार्षिक लक्ष्य में बड़े उद्यमों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यमों का उद्योग–समूह तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को की गई उप–संविदाएं भी शामिल होगी।

iii. तीन वर्षों की अवधि के उपरान्त, अर्थात् 1 अप्रैल 2015 को समग्र प्रापण लक्ष्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

iv. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों को 20 प्रतिशत का विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 20 प्रतिशत के वार्षिक प्रापण में से होगा, अर्थात् कुल प्रापण का 4 प्रतिशत वार्षिक तौर पर।

v. लघु उद्योग इकाइयों तथा हस्तशिल्प क्षेत्र से प्रापण हेतु कुल 358 आईटमों/उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

iv. Special provision of 20% has been made for Scheduled Caste and Scheduled Tribe owned enterprises out of 20% annual procurement target from Micro & Small Enterprises i.e. 4% of the total procurement.

v. A total of 358 items/products/services have been listed reserved for purchase from Small Scale Industrial Units including Handicrafts Sector.

5. All the Zonal Dy CEO(s)/State/Divisional Director(s)/ CEO (s) of State KVIB(s) and Programme Director(s) are hereby requested to take a note of the said order and pursue the matter with various Central Government Ministries, Departments and PSUs for ensuring coverage of the procurement policy stipulated by the Govt. of India. Specific emphasis may be laid for purchase of KVI items being produced by KVI Institutions/REGP/PMEGP Units and other units associated with KVI Sector.

6. A copy of The Gazette of India "Extraordinary" notification is enclosed herewith. A copy is also placed in the website: www.kvic.org.in for reference. The copy of the notification should be displayed in the office notice boards.

Receipt of the Circular may be acknowledged and action taken informed immediately.

Encl: As above.

Chief Executive Officer

To

1. All Zonal Dy. CEOs, KVIC.
2. All State/Divisional Directors, KVIC.
3. All State Khadi & Village Industry Boards.
4. All Industry/Programme Directors.
5. All Director/ Managers, KGBs.

Copy to:

1. All Members of the Commission
2. Secretary to Chairman.
3. OSD to CEO.
4. A.O. to F.A.
5. Dy. Director to CVO.
6. P.A to Jt. CEO.
7. Director (IT) with a request to upload in the website.
8. Director (Publicity) with a request to publish in the forthcoming issue of Jagruti.
9. Director (Hindi Cell) with a request to arrange for issue of hindi version of the circular.

5. सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/राज्य/मंडलीय निदेशक/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यक्रम निदेशकों को यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस आदेश का संज्ञान लें और इस मामले को विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संपर्क करें जिससें कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रापण नीति के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं/ग्रारोसृका/पीएमईजीपी इकाइयों और खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से संबंधित अन्य इकाइयों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले खादी और ग्रामोद्योग आईटमों के प्रापण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

6. इस परिपत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र "असाधारण" की एक प्रति यहां संलग्न की गई है। इसकी एक प्रति आयोग के वेबसाईट www.kvic.org.in में भी सुलभ कराई गई है। इस अधिसूचना की प्रति को कार्यालय के नोटिस–बोर्ड में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

इस परिपत्र की प्राप्ति की पावति दें और इस पर की गई कार्रवाई से तुरंत अवगत कराएं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रति,

1. सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
2. सभी राज्य/मंडलीय निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
3. सभी राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
4. सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशक।
5. सभी निदेशक/प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग भवन।

प्रतिलिपि,

1. आयोग के सभी माननीय सदस्यगण।
2. अध्यक्ष महोदय के सचिव।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्याधिकारी।
4. वित्तीय सलाहकार के लेखा अधिकारी।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी के उप निदेशक।
6. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निजी सहायक।
7. निदेशक (सू.प्रौ.) को आयोग की वेबसाईट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. निदेशक (प्रचार) को जागृति के आगामी अंक में प्रकाशन के अनुरोध के साथ।